



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216149
CG-DL-E-14022020-216149

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 2020/माघ 23, 1941 23, 1941
No. 605]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2020/MAGHA 23, 1941

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
(अन्वेषण प्रभाग-V)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

सं. 09/2020

का.आ. 664(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उपधारा(1) और काला धन (अप्रकटित विदेशी आय आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 (2015 का 22) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों को उनकी संबंधित क्षेत्र-अधिकारिता के भीतर उक्त धाराओं के प्रयोजन हेतु विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करती है।

[अधिसूचना सं.09/2020/ फा. सं. 285/41/2019-आईटी (अन्वे. V) सीबीडीटी]

दीपक तिवारी, आयकर आयुक्त(ओएसडी)(अन्वे.), सीबीडीटी